The Following proposals for setting up thermal power projects in the Private Sector in the State of Gujarat have been cleared by the Central Electricity Authority.

SI. No.	Name of Project	Capacity (MW)	Date of clearance	Present Status
1.	PiparayCCGT	615	30-10-89 (GEB) 14-3-91 (GPCL)	In view of gas linkage not having been confirmed, GPCL has reviewed the feasibility report in Dec., 93, envisaging the use of Naphtha, till gas becomes available. State Government approval is awaited.
2.	Gandhar CCGT	655	12-11-93	Submission of financial package by private promoter awaited.

No proposals for setting up of tidal, hydro and wind projects are pending in the CEA for techno-economic clearance.

(c) and (d) After the various inputs/ clearances are tied up and necessary funds are located, the projects will be sanctioned/taken up for implementation.

बिजली की मांग, आपूर्ति और उत्पादन

4524. **श्री राघवजी :** क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बिजली की कुल मांग, आपूर्ति और उसके उत्पादन के लिए स्थापित क्षमता का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) उन राज्यों में बिजली उत्पादन के लिए क्या प्रयास किये जा रहे हैं जहां बिजली की आपूर्ति कम है ?

विद्युत् मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैय्या नायडू) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान विद्युत् आपूर्ति की स्थिति का राज्यवार ब्यौरा विवरण I में दिया गया है। (नीचे देखिए) 31-3-94 की स्थिति के अनुसार अधिष्ठापित क्षमता का राज्यवार ब्यौरा विवरण II में दिया गया है। (नीचे देखिए)

(ख) देश में उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए, 8 वीं योजना के दौरान 30538 मे० वा० क्षमता के जोड़े जाने की परिकल्पना की गई है। देश में विद्यमान संयंत्रों में उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न अन्य उपाय किए जा रहे हैं, जिनमें ये शामिल हैं: पुरानी यूनिटों का नवीकरण एवं आधुनिकीकरण करना, संयंत्र सुधार कार्यक्रम में संलग्न बिजली बोर्डों की सहायता करना, कोयला और प्राकृतिक गैस की अपेक्षित मात्रा और गुणवत्ता की आपूर्ति करना, प्रचालन एवं रखरखाव कार्मिकों का प्रशिक्षण करना, पारेषण एवं वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करना।

विवरण I

अप्रैल, 93—मार्च, 94 के लिए विद्युत आपूर्ति की वास्तविक स्थिति

(आंकड़े मि० यू० में निवल)

क्षेत्र/राज्य/प्रणाली	अप्रैल, 93 – मार्च ,94			
	मांग	उपलब्धता	कमी	(%)
1	2	3	4	5
उत्तरी क्षेत्र				
चण्डीगढ़	667	676	9	0.0
दिल्ली	11045	10884	161	1.5
हरियाणा	11745	10640	1105	9.4
हिमाचल प्रदेश	1619	1619	0	0.0
जम्मू एवं कश्मीर	3700	2971	729	19.7

1	2	3	4	5
पंजाब	18780	18181	599	3.2
राजस्थान	16070	15089	981	6.1
उत्तरी प्रदेश	33735	30476	3259	9.7
जोड़ (उत्तरी क्षेत्र) .	97370	90536	6834	7.0
पश्चिमी क्षेत्र				
गुजरात	29860	28502	1358	4.5
मध्य प्रदेश	23945	22791	1154	4.8
महाराष्ट्र	44895	43514	1381	3.1
गोवा	876	873	3	0.3
जोड़ (प० क्षेत्र) .	99576	95680	3896	3.9
दक्षिणी क्षेत्र				
आन्ध्र प्रदेश	28180	26924	1256	4.5
कर्नाटक	22070	17235	4835	21.9
केरल	7990	7836	154	1.9
तमिलनाडु	26495	25466	1029	3.9
जोड़ (दक्षिणी क्षेत्र) . . .	84735	77461	7274	8.6
पूर्वी क्षेत्र				
बिहार	8645	5583	3062	35.4
डी वी सी	7730	6982	748	9.7
उड़ीसा	8840	7909	931	10.5
प० बंगाल	12695	12056	639	5.0
जोड़ (पूर्वी क्षेत्र)	37910	32530	5380	14.2
उत्तर पूर्वी क्षेत्र				
आन्ध्र प्रदेश	157.0	107.3	49.7	31.7
असम	2368.0	2098.3	269.7	11.4
मणिपुर	298.4	285.1	13.3	4.5
मेघालय	304.4	304.4	0.0	0.0
मिजोरम	115.2	109.9	5.3	4.6
नागालैण्ड	144.9	136.6	8.3	5.7
त्रिपुरा	273.1	245.4	27.7	10.1
जोड़ (उत्तर पूर्वी क्षेत्र) . .	3661.0	3287.0	374.0	10.2
अखिल भारत .	323252	299494	23758.0	7.3

विवरण II

31-3-94 के अनुसार उत्पादन संयंत्र अधिष्ठापित क्षमता (अनंतिम) का राज्यवार ब्यौरा

अधिष्ठापित क्षमता (मे० वा०)

क्र. सं.	क्षेत्र/राज्य/संघ शासित राज्य	जलविद्युत	ताप विद्युत	न्यूक्लीय	जोड़
उत्तरी :					
1.	हरियाणा	883.90	896.42	0.00	1780.32
2.	हिमाचल प्रदेश	272.07	0.27	0.00	272.34
3.	जम्मू एवं कश्मीर	180.31	156.76	0.00	337.07
4.	पंजाब	1798.94	1700.00	0.00	3498.94
5.	राजस्थान	966.93	975.00	0.00	1941.93
6.	उत्तर प्रदेश	1504.55	4070.19	0.00	5574.74
7.	चण्डीगढ़	0.00	2.00	0.00	2.00
8.	दिल्ली	0.00	551.60	0.00	551.60
9.	केन्द्रीय क्षेत्र (उत्तरी क्षेत्र)	1415.00	6862.00	895.00	9172.00
	कुल (उत्तरी क्षेत्र)	7021.70	15214.24	895.00	23130.94
पश्चिमी :					
1.	गोवा	0.05	0.11	0.00	0.16
2.	गुजरात	425.00	4509.67	0.00	4934.67
3.	मध्य प्रदेश	726.09	3017.50	0.00	3782.59
4.	महाराष्ट्र	1584.22	7754.50	0.00	9338.72
5.	दादरा एवं नागरा हवेली	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	दमन एवं दीव	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	केन्द्रीय क्षेत्र (म० क्षेत्र)	0.00	4266.00	640.00	4906.00
	जोड़ (प. क्षेत्र)	2774.36	19547.78	640.00	22962.14
दक्षिणी :					
1.	आन्ध्र प्रदेश	2592.94	2131.50	0.00	4742.44
2.	कर्नाटक	2408.20	757.92	0.00	3166.12
3.	केरल	1484.00	0.00	0.00	1484.00
4.	तमिलनाडु	1944.95	2365.58	0.00	4310.53
5.	पाण्डिचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00
6.	केन्द्रीय क्षेत्र (द. क्षेत्र)	0.00	4170.00	470.00	4646.00
	कुल (द. क्षेत्र)	8430.09	9425.00	470.00	18325.09
पूर्वी :					
1.	बिहार	156.60	1393.50	0.00	1550.10
2.	उड़ीसा	1271.92	470.00	0.00	1741.92
3.	प. बंगाल	46.51	3478.88	0.00	3525.39
4.	डीवीसी	144.00	2097.50	0.00	2241.50
5.	सिक्किम	30.89	2.70	0.00	33.59
6.	केन्द्रीय क्षेत्र (पू. क्षेत्र)	0.00	2020.00	0.00	2020.00
	जोड़ (पूर्वी क्षेत्र)	1649.92	9462.58	0.00	11112.50

1	2	3	4	5	6
ऊत्तर पूर्वी :					
1.	आन्ध्र प्रदेश	20.95	12.86	0.00	33.81
2.	असम	2.00	575.19	0.00	570.19
3.	मणिपुर	2.60	9.41	0.00	12.01
4.	मेघालय	186.71	7.05	0.00	193.76
5.	मिजोरम	3.36	19.07	0.00	22.43
6.	नागालैण्ड	3.20	3.62	0.00	6.82
7.	त्रिपुरा	16.01	37.35	0.00	53.36
8.	केन्द्रीय क्षेत्र (उ० पू० क्षेत्र) . . .	255.01	0.00	0.00	255.01
	जोड़ (उ. पू. क्षेत्र) . . .	489.84	664.55	0.00	1154.30
द्वीपसमूह :					
1.	अण्डेमान एवं निकोबार द्वीपसमूह . . .	0.00	28.03	0.00	28.03
2.	लक्षद्वीप	0.00	5.12	0.00	5.12
	जोड़ (द्वीपसमूह)	0.00	33.15	0.00	33.15
	केन्द्रीय क्षेत्र :	1814.01	19415.50	2005.00	23234
	राज्य क्षेत्र	18257.90	32270.10	0.00	50528.00
	निजी क्षेत्र	294.00	2661.70	0.00	2955.70
	(रा. क्षे.+नि. क्षे.) . . .	18551.90	34931.80	2005.00	53483.03
	अखिल भारत	20365.91	54347.30	2005.00	76718.02
	जोड़ का प्रतिशत	26.55	70.84	2.61	100.00

महाराष्ट्र की विद्युत परियोजनाओं के लम्बित प्रस्ताव

4525. **श्रीमती चन्द्रिका अभिनन्दन जैन :** क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में नयी विद्युत परियोजनाओं की स्थापना हेतु विचाराधीन उन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है जो केन्द्रीय सरकार के पास स्वीकृत के लिए लम्बित पड़े हुए हैं;

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इन प्रस्तावों के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की है;

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल किए गए ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार इन परियोजनाओं को स्वीकृति देने हेतु कोई न्यूनतम समय-सीमा निर्धारित करने का विचार रखती है; और

(ङ) यदि हां, तो ततसम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० वी० रंगैया नायडू) : (क) से (ग) ब्यौरे नीचे दिये गये हैं:-

क्र सं०	परियोजना का नाम	स्थिति
1.	भिवपुरी पम्पड़ स्टोरेज,	यद्यपि यह स्कीम तकनीकी आर्थिक दृष्टिकोण से के० वि० प्रा० द्वारा मई, 91 में सही पाई गई थी लेकिन कृष्णा नदी के जल के पश्चिम की ओर विपथन के संबंध में महाराष्ट्र, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच कोई समझौता न होने के कारण इसे स्वीकृत नहीं किया गया ।
2.	चिकलधारा पम्पड़ स्टोरेज स्कीम (4× 100 मे०वा०)	यह स्कीम राज्य सरकार द्वारा तकनीकी-आर्थिक स्वीकृति के लिए के० वि० प्राधिकरण को भेजी गई थी, जिन्होंने राज्य सरकार से अनेक स्पष्टीकरण मांगे हैं ।